भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 859
07 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय:- कीटनाशकों की समीक्षा

859. श्री फिरोज़ वरुण गांधी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कीटनाशक प्रबंधन विधेयक के अंतर्गत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंजीकृत कीटनाशकों की प्रत्येक 5 वर्ष पर आवधिक रूप से स्वत:समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा की गई सुरक्षित रूप से की जाने वाली परीक्षण प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सुरक्षा परीक्षण में अक्रिय अवयवों के साथ-साथ मेटाबोलाइट्स अथवा ब्रेकडाउन उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): पंजीकृत कीटनाशकों की प्रत्येक 5 वर्ष पर आवधिक रूप से स्वत: समीक्षा संबंधी उपबंध पर दिनांक 23.03.2020 को संसद (राज्य सभा) में प्रस्तुत किए गए प्रारूप कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 में विचार नहीं किया गया है। तथापि, प्रारूप पीएमबी-2020 में यह प्रस्तावित है कि पंजीकृत कीटनाशकों की सुरक्षा तथा प्रभावकारिता की आवधिक रूप से समीक्षा की जाए और पंजीकरण प्रमाणपत्रों में संशोधन अथवा निरस्त किया जाए; और उन कीटनाशकों के पंजीकरण की जाए, जिनका केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से संदर्भ दिया गया है, अथवा जो खंड 35 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं, की भी समीक्षा की जाए। इसके अलावा, पंजीकरण की समीक्षा, निलंबन तथा निरस्तीकरण और कीटनाशकों पर प्रतिबंध संबंधी खंड के अंतर्गत, ऐसे मोलेक्यूल की समीक्षा अथवा कीटनाशक के सूत्रीकरण जिसके संबंध में पंजीकरण प्रदान किया गया है, के सहित विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। समीक्षा करते समय, पंजीकरण समिति के पास उसके द्वारा निर्धारित रीति से परीक्षण करने अथवा ऐसे विशेषज्ञों से परामर्श करने जिसे वह उचित समझे; अथवा

पंजीकरण प्रमाण पत्र के संबंधित धारक अथवा धारकों, जैसी भी स्थिति हो, से जानकारी प्रस्तुत करने अथवा परीक्षण करने को कहने की शक्ति होगी ।

****